(3

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग

लगान निर्धारण वाद संख्या-·02/2013-14

श्रीमती रेणु पाण्डेय पति शिवशंकर पाण्डेय

-: **आदेश** :-

10/07/14 अंचल अधिकारी, टाटीझरिया के पत्रांक 802, दिनांक 31/12/2013 के द्वारा श्रीमती रेणु पाण्डेय पति शिवशंकर पाण्डेय, साकिन- टाटीझरिया, थाना- टाटीझरिया का लगान निर्धारण हेतु अभिलेख प्राप्त हुआ है। खाता सं0- 219, प्लॉट सं0- 1079, रकवा- 0.11डी0 एवं उसी खाता के प्लॉट नं0- 1110 में 0.31डी0 जमीन कुल रकवा- 42डी0 जमीन सर्वे खतियान में खतियानी रैयत रामजीवन चौधरी पिता आदित्य चौधरी के नाम पर बेलगान दर्ज है।

उपरोक्त भूमि आवेदक श्रीमती रेणु पाण्डेय पति श्री शिवशंकर पाण्डेय, साकिन- टाटीझरिया ने खतियानी रैयत श्री रामजीवन चौधरी, पिता- आदित्य चौधरी से केवाला सं0- 9475, दिनांक 29/07/2010 से मो0 9475, दिनांक 29/07/2010 से मो0 50000/-(पचास हजार) रूपये में क्रय किया है। अंचल अधिकारी, टाटीझरिया के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि पर वर्त्तमान समय में आवेदक का दखल कब्जा है। आवेदित भूमि गैरमजरूआ खास आम सैरात वन सीमा भू-हदबंदी तथा सी0एन0टी0 से मुक्त है।

अतः उपरोकत के आलोक में उपरोक्त खाते व प्लॉट की बेलगान भूमि का लगान निर्धारण भूमि का लगान निर्धारण का स्वीकृति प्रदान किया जाता है। लगान की वसूली जमीन्दारी उन्मूलन की तिथि से देय होगी।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

अभिलेख वापस अंचल अधिकारी, टाटीझरिया को भेजें।

लेखापित संशोधित।

10/7/14 — भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग।

10/7/14 — भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर, हजारीबाग।

Scanned with CamScanner

25.7.14	आलेख अवलोकित। भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर हजारीबाग के पत्रांक – 26(भू०) दिनांक – 15/07/14 द्वारा आवेदक के नाम एवं लगान निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की गई है। संबंधित हल्का कर्मचारी को उक्त भूमि का जमींदारी उन्मूलन की तिथि से लगान निर्धारण कर रसीद निर्गत करने हेतु निर्देशित किया जाता है। अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 25/7/14
अंचल अधिकारी
टाटीझरिया

Scanned with CamScanner